रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263458
CG-DL-E-29052025-263458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/जयेष्ठ 8, 1947
No. 391] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISHTHA 8, 1947

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

फा. सं. के.का.:मा.सं.प्र.:औ.सं.वि: 2025-26: 51.—1970 के बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् तथा भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से — परंतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के पत्र क्रमांक 4/2/1/2022-आईआर, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुपालन में की गई या छोड़ दी गई बातों को छोड़कर — दिनांक 1 नवम्बर, 2022 से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि तक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों की) सेवा विनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं, अर्थात्:–

1. (i) इन विनियमों को *सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों की) सेवा (संशोधन) विनियम, **2025*** कहा जाएगा.
(ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे.

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों की) सेवा विनियम, 1979 (जिसे आगे "उक्त विनियम" कहा गया है) में, विनियम 3 में—

(i) खण्ड (f) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'**(f)** चिकित्सीय सुविधाओं तथा अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजनों के लिए अधिकारी के **"**परिवार**"** का तात्पर्य निम्नलिखित होगा**—**

(i) अधिकारी का पति या पत्नी;

(ii) पूर्णतः आश्रित अविवाहित संतान (जिसमें सौतेली संतान तथा विधिक रूप से दत्तक संतान सम्मिलित हैं);

(iii) 40% या अधिक शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता वाले पूर्णतः आश्रित भाई या बहन;

(iv) विधवा पुत्रियाँ तथा आश्रित तलाकशुदा अथवा पति से अलग रह रही पुत्रियाँ;

(v) बहनें, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त या पति से अलग रह रही या विधवा बहनें सहित; एवं

(vi) अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता

यह भी उपबंधित है कि शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग संतान चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उन्हें विवाह के उपरांत भी आश्रित माना जाएगा, बशर्ते कि वे आश्रित के लिए निर्धारित आय मानदंड को पूर्ण करते हों.

स्पष्टीकरण **1.—**"पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य" से तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी मासिक आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक न हो**.** यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय ₹18,000/- प्रति माह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माना जाएगा.

स्पष्टीकरण **2.—**सभी अधिकारियों अर्थात पुरूष या महिला के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना एवं अवकाश यात्रा रियायत के संदर्भ में, आश्रित माता, पिता, सास, ससुर में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा. अधिकारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में आश्रित सदस्यों में से किसी एक या दोनों को बदलने का विकल्प होगा.

स्पष्टीकरण **3.—**यह परिभाषा दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी तथा कैलेण्डर वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा बीमा योजना के संदर्भ में आश्रितों की संशोधित मासिक आय सीमा दिनांक 1 नवम्बर, 2024 से प्रभावी होगी.'

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, ——

(a) उप-विनियम 7 का *स्पष्टीकरण* हटा दिया जाएगा;

(b) उप-विनियम (8), 9(a) और 9(b) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) दिनांक 1 नवम्बर, 2022 से, प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(i) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹156500 – 4340/4 – ₹173860

वेतनमान VI = ₹140500 – 4000/4 – ₹156500

(ii) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹120940 – 3360/2 –127660 – 3680/2 –135020

वेतनमान IV = ₹102300 – 2980/4 –114220 – 3360/2 –120940

(iii) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹85920 – 2680/5 –99320 – 2980/2 –105280

वेतनमान II = ₹64820 – 2340/1 –67160 – 2680/10 –93960

(iv) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹48480 – 2000/7 –62480 – 2340/2 –67160 – 2680/7 –85920

स्पष्टीकरण.—प्रत्येक अधिकारी जो दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को लागू वेतनमान द्वारा अधिशासित था, उसे दिनांक 1 नवंबर, 2022 को इस उप-विनियम में दर्शाए वेतनमान में स्टेज टू स्टेज आधार पर समायोजित किया जाएगा, अर्थात संबंधित वेतनमानों में प्रथम चरण से आगे तत्संगत चरणों पर निर्धारण किया जाएगा एवं वेतनवृद्धियां सामान्यतः वार्षिकी की दिनांक पर देय होंगी जब तक कि अन्यथा कोई प्रावधान न किया गया हो.

(9) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक पद के लिए वेतनमान इस प्रकार होगा:

शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VIII = ₹253000 – 9000/4 – ₹289000

(10) उप-विनियम (1) से (9) में किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को सदैव इन सभी श्रेणियों अधिकारियों को रखना अनिवार्य है.

(11) दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से, अधिकारियों को विशेष भत्ते निम्नानुसार देय होंगे:

वेतनमान I से III — मूल वेतन का **7.75 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV से V — मूल वेतन का **10 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI से VII — मूल वेतन का **11 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से, अधिकारियों को विशेष भत्ते निम्नानुसार देय होंगे:

वेतनमान I से III — मूल वेतन का **16.40 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV से V — मूल वेतन का **19 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI से VII — मूल वेतन का **20 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(13) दिनांक 1 नवम्बर, 2022 से, अधिकारियों को विशेष भत्ते निम्नानुसार देय होंगे:

वेतनमान I — मूल वेतन का **26.50 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान II से III — मूल वेतन का **28.30 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV से V — मूल वेतन का **30.50 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI से VII — मूल वेतन का **31.50 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(14) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए विशेष भत्ता निम्नानुसार देय होगा:

विशेष भत्ता (वेतनमान VIII) — मूल वेतन का **28.30 प्रतिशत**, तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

नोट: उप-विनियम (11) से (14) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता और उस पर लागू महंगाई भत्ते को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन योजना), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा."

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में,—

(a) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (8) एवं (9) के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 1 नवंबर, 2022 को तथा उसके बाद से, वेतन वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:-

(a) विनियम 4 के उप-विनियम (8) एवं (9) में निर्दिष्ट वेतनमानों के अनुसार वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर देय होंगी एवं जिस माह में वे देय हों, उस माह की पहली तिथि को प्रदान की जाएँगी;

(b) अपने वेतनमान में अधिकतम तक पहुँचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I तथा वेतनमान II में कार्यरत अधिकारियों को, केवल नीचे दिए गए खण्ड (c) एवं (d) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, दक्षता सीमा पार करने की स्थिति में, अगले उच्चतर वेतनमान में और वेतनवृद्धियाँ (जिसमें विराम वेतनवृद्धियाँ भी सम्मिलित हैं) प्रदान की जाएँगी;

(c) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी, जो खण्ड (b) के तहत, उच्चतर वेतनमान के अधिकतम वेतन तक पहुँचने के बाद, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के वेतनमान में स्थानांतरित हो चुके हैं, वे कुल सात विराम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे. इनमें से प्रत्येक वेतनवृद्धि दो-दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर देय होगी, जिसमें प्रारंभ की दो वेतनवृद्धियाँ ₹2680/- प्रत्येक की होंगी और शेष पाँच ₹2980/- प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते कि, पाँचवीं विराम वेतनवृद्धि के निर्गमन के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी छठी विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते यह भी कि, पाँचवीं विराम वेतनवृद्धि के निर्गमन के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी सातवीं विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(d) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (b) के तहत, उच्चतर वेतनमान के अधिकतम वेतन तक पहुँचने के बाद, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के वेतनमान मे स्थानांतरित हो चुके हैं, वे कुल सात विराम वेतनवृद्धि, प्रत्येक ₹ 2980/- की वेतनवृद्धि प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा के उपरांत, के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि, पाँचवीं विराम वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी छठी विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते यह भी कि, पाँचवीं विराम वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी सातवीं विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(e) वे अधिकारी जो वास्तविक रूप से मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में नियुक्त हैं, अर्थात् जिन्हें वेतनमान III में पदोन्नति मिली है अथवा भर्ती हुई है, वे आठ विराम वेतनवृद्धियों के पात्र होंगे. प्रत्येक वेतनवृद्धि वेतनमान के अधिकतम वेतन स्तर तक पहुँचने के पश्चात प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए होगी , जिनमें प्रथम चार विराम वेतनवृद्धियाँ ₹2980/- प्रत्येक तथा अगली चार विराम वेतनवृद्धियाँ ₹3360/- प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते कि, छठी विराम वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी सातवीं विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते यह भी कि, छठी विराम वेतनवृद्धि के जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी आठवीं विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(f) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV में कार्यरत अधिकारी, पाँच विराम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे. प्रत्येक वेतन वृद्धि वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर होगी, जिनमें से प्रथम विराम वेतनवृद्धि ₹ 3360/- की तथा शेष चार विराम वेतनवृद्धियाँ ₹3680/- प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते कि, द्वितीय विराम वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022 जो भी बाद में हो, अधिकारी तृतीय विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते यह भी कि, द्वितीय विराम वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022 जो भी बाद में हो, अधिकारी चतुर्थ विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

तथा बशर्ते यह भी कि, द्वितीय विराम वेतनवृद्धि जारी होने के छह वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022 जो भी बाद में हो, अधिकारी पांचवी विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(g) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V में कार्यरत अधिकारी, चार विराम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे. प्रत्येक वेतन वृद्धि वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए ₹4000/- प्रत्येक की होगी:

बशर्ते कि, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के चार वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी द्वितीय विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते यह भी कि, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के छह वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी तृतीय विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

तथा बशर्ते यह भी कि, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के आठ वर्ष बाद या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, अधिकारी चतुर्थ विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(h) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI में कार्यरत अधिकारी, तीन विराम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे. प्रत्येक वेतन वृद्धि वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर होगी, जिनमें से प्रथम दो विराम वेतनवृद्धियाँ ₹4000/- प्रत्येक तथा तृतीय विराम वेतनवृद्धि ₹4340/- की होगी:

बशर्ते कि, जो अधिकारी पहले ही अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने की तिथि के दो वर्ष पश्चात या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, ₹4000/- की प्रथम विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह कि, जो अधिकारी पहले ही अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने की तिथि के 4 वर्ष बाद या 1नवंबर 2022, जो भी बाद में हो ₹4000/- की द्वितीय विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि, जो अधिकारी पहले ही अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने की तिथि के 6 वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो ₹4340/- की तृतीय विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे;

(i) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VII के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के पश्चात, तीन विराम वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे, जो प्रत्येक दो वर्षों की पूर्ण सेवा पर ₹4340/- प्रत्येक की होगी:

बशर्ते कि, जो अधिकारी पहले ही अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने की तिथि के दो वर्ष पश्चात या 1 नवम्बर, 2022, जो भी बाद में हो, से प्रथम विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि, जो अधिकारी पहले ही अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने की तिथि के 4 वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, द्वितीय विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि, जो अधिकारी पहले ही अपने वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं, वे अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने की तिथि के 6 वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, तृतीय विराम वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे.

नोट: इस उप-विनियम के खण्ड (c) से (i) में उल्लिखित विराम वेतनवृद्धियाँ, उस अधिकारी को प्रदान नहीं की जाएंगी, जो पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है.

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम में उल्लिखित अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा तथा अधिकारी के विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व यथास्थिति, मूल पद के अनुसार बने रहेंगे.";

(b) उप-विनियम (2) में, —

(i) स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित उपबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात:

"बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 को या इसके बाद से, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा के भाग 1 (सीएआईआईबी-I) को पूरा करने पर प्राप्त एक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त, सीएआईआईबी/सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा के भाग II (सीएआईआईबी-II) को पूरा करने वाले अधिकारी अपने वेतनमान में दो वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि जो अधिकारी 1 नवंबर 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और पहले ही सीएआईआईबी या सीएआईआईबी-II उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे 1 नवंबर 2022 से या सीएआईआईबी या सीएआईआईबी II उत्तीर्ण करने की तिथि से , जो भी बाद में हो, द्वितीय अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

यह भी उपबंधित है कि, ऐसे मामलों में जहां कोई अधिकारी 8 मार्च 2024 को या उसके बाद जेएआईआईबी (सीएआईआईबी I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II) उत्तीर्ण कर चुका हो या करेगा और उसने वेतनमान की अधिकतम सीमा [जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) के संदर्भ में] या अधिकतम वेतनमान से एक चरण कम [सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II)] के संदर्भ में) प्राप्त करने के बाद यह योग्यता अर्जित की हो, तथा उसे इस योग्यता के आधार पर मिलने वाली वेतनवृद्धि इस कारण से नहीं मिली हो कि उसके वेतनमान में अवशेष वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं थी, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए विराम वेतनवृद्धि, एक वर्ष या दो वर्ष से, जो लागू हो, पूर्वनिर्धारित कि जा सकती है.".

(ii) स्पष्टीकरण में, खण्ड (h) के पश्चात और नोट से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) 1 नवम्बर, 2022 से, अन्य सभी परिस्थितियाँ समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन की राशि को निम्नलिखित तालिका के अनुसार संशोधित किया जाएगा, अर्थात:—

तालिका

जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की परीक्षा - भाग I (सीएआईआईबी- I) उत्तीर्ण की हो.	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष उपरांत ₹ 1370/- प्रति माह
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की परीक्षा (सीएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की परीक्षा (सीएआईआईबी- II) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों.	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष उपरांत ₹1370/- प्रति माह (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष उपरांत ₹3425/- प्रति माह (iii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के तीन वर्ष उपरांत ₹5480/- प्रति माह

बशर्ते कि, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के उपरांत जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (कोई एक या दोनों भाग) की योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की दिनांक से व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की बाद की किस्तें व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त के भुगतान की दिनांक के संदर्भ में होंगी.";

(iii) नोट में, खण्ड (v) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात: –

"(vi) जो अधिकारी 1 नवंबर 2022 तक बैंक की सेवा में थे और पहले ही जेएआईआईबी (सीएआईआईबी- I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) उत्तीर्ण कर चुके थे एवं व्यावसायिक अर्हता वेतन – II प्राप्त कर रहे हैं, वे 1 नवंबर 2022 से या व्यावसायिक अर्हता वेतन – II जारी होने के 1 वर्ष बाद से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक अर्हता वेतन – III के लिए पात्र होंगे.

(vii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) उत्तीर्ण कर ली है और 1 नवंबर 2022 को या उससे पूर्व वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गए थे और जिन्हें 1 नवंबर 2022 को या उससे पूर्व प्रथम विराम वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, वे 1 नवंबर 2022 से व्यावसायिक अर्हता वेतन-I के लिए पात्र होंगे और इस खण्ड के तहत व्यावसायिक अर्हता वेतन की बाद की किस्तें व्यावसायिक अर्हता वेतन I के भुगतान की दिनांक के संदर्भ में की जाएंगी.

(viii) वेतनमान VIII के अधिकारी व्यावसायिक अर्हता वेतन के लिए पात्र नहीं होंगे और यह उनके वेतन स्लिप घटकों का हिस्सा नहीं होगा.";

(c) उप-विनियम (3) में, —

(i) खण्ड (g) के बाद दिए गए **नोट** को हटाया जाएगा;

(ii) खण्ड (g) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"(h) दिनांक 1 नवंबर, 2022 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए, मकान किराया भत्ते सहित नियत वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (₹)	**वेतन वृद्धि घटकों पर एक नवंबर को महंगाई भत्ता (₹)**	**कुल देय नियत वैयक्तिक वेतन जहां बैंक द्वारा आवास प्रदान किया जाता है (₹)**
(1)	**(2)**	**(3)**
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663.

(i) अन्य सभी परिस्थितियाँ समान होते हुए, शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VIII में मुख्य महाप्रबंधक के लिए नियत वैयक्तिक वेतन को मकान किराया भत्ता सहित निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई दरों के अनुसार दिया जाएगा और यह पूरे सेवा काल के दौरान स्थिर रहेगा: –

तालिका

वेतन वृद्धि घटक	**वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता**	**कुल देय नियत वैयक्तिक वेतन जहां बैंक द्वारा आवास प्रदान किया जाता है**
(₹)	**(₹)**	**(₹)**
(1)	**(2)**	**(3)**
9000	669	9669.

नोट:

"(a) इस उप-विनियम के खण्ड (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) और (i) में तालिका के कॉलम (3) के तहत इंगित नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है.

(b) मकान किराया भत्ता पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन, उपर्युक्त तालिका के कॉलम (1) और (2) में निर्दिष्ट राशि और संबंधित अधिकारी द्वारा आहृत मकान किराया भत्ते का योग होगा, जब वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6) (7) (8) और (9) अनुसार प्राप्त की गयी हो.

(c) केवल वे अधिकारी जो दिनांक 01.11.1993 को या उससे पूर्व बैंक की सेवा में थे, वे अपने वेतन के अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद नियत वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे.

(d) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद नियत वैयक्तिक वेतन जारी होने के कारण उप विनियमन (2) के स्पष्टीकरण के खण्ड (c) में उल्लिखित व्यावसायिक अर्हता भत्ते की जारी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां पहले प्रावधानों के कारण व्यावसायिक अर्हता वेतन की कोई भी किस्त एक वर्ष से स्थानांतरित हो चुकी थी और जो 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी की जाने वाली थी उसे उसी दिनांक से जारी कर दिया जाएगा और व्यावसायिक अर्हता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, को 1 नवंबर, 2000 से जारी किया जाएगा.

(e) स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणना में लिया जाएगा.

(f) एक अधिकारी जिसने उक्त खण्ड (a) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, उसे वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष उपरांत इस उप विनियम के खण्ड (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) तथा (i) में उल्लेखित स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन की निर्धारित राशि प्राप्त होगी.

5. विनियम 7 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: –

"(7). नियुक्ति के तिथि पर वर्गीकरण —विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन, नियुक्ति की तिथि पर बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा:

तालिका

पद	श्रेणी या वेतनमान जिसमें अधिकारी पदस्थापित हैं
(1)	(2)
मुख्य महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी – वेतनमान VIII
महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी – वेतनमान VII
संयुक्त महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी – वेतनमान VI
सहायक महाप्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी – वेतनमान V
मुख्य प्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी – वेतनमान IV
वरिष्ठ प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी – वेतनमान III
प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी – वेतनमान II
सहायक प्रबंधक	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी – वेतनमान I

"बशर्ते कि उपर्युक्त वर्गीकरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई और विसंगति को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर बनी एक समिति को निर्णय के लिए भेजा जाएगा".

6. उक्त विनियमों के विनियम 21 में, –

(a) उप-विनियम (7) के बाद और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"(8) 1 नवम्बर 2022 से, –

(a) महंगाई भत्ता, सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिन्दु पर, वेतन का 1% देय होगा;

(b) उपर्युक्त तरीके से महंगाई भत्ते का भुगतान औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2016=100 के तिमाही औसत में 123.03 अंकों से ऊपर की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक परिवर्तन के लिए किया जाएगा. सीपीआई 2016 के सूचकांक 123.03 अंकों के ऊपर, प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान के परिवर्तन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01% परिवर्तन होगा;

(c) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन को तिमाही आधार पर, 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवम्बर और 1 फरवरी को निम्नानुसार जारी किया जाएगाः अर्थात :—

महंगाई भत्ते के जारी होने की दिनांक	माह के सीपीआई अंकों का तिमाही औसत	माह के लिए लागू
(1)	(2)	(3)
1 मई	जनवरी, फरवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त, सितंबर और अक्टूबर
1 नवम्बर	जुलाई, अगस्त और सितंबर	नवम्बर, दिसंबर और जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवम्बर और दिसंबर	फरवरी, मार्च और अप्रैल

(d) महंगाई भत्ते की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी;

(e) तिमाही औसत निकालते समय केवल पहले दो दशमलव अंकों पर ही विचार किया जाएगा.";

(b) स्पष्टीकरण में, खण्ड (b) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(b) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खण्ड (c), (d), (e), (f), (g), (h) और (i) में निर्दिष्ट व्यवसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता वेतन महंगाई भत्ते की गणना के लिए पात्र होंगे".

7. उक्त विनियमों के विनियम 22 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'(1) 1 नवंबर, 2022 से —

(a) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहां वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, अधिकारी से वसूल किया जाएगा;

(b) जहां एक अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, तो वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा:

तालिका

कार्य का स्थान	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख "A" श्रेणी के शहर और समूह A में प्रोजैक्ट एरिया केंद्र	वेतन का 10.00%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान और समूह B में प्रोजैक्ट एरिया केंद्र और गोवा राज्य	वेतन का 9.00%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 8.00%

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता, उसके वेतनमान के प्रथम चरण में वेतन के 0.35 प्रतिशत के अतिरिक्त, उसके द्वारा आवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो कि, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत तक सीमित होगा.

नोट: - यथा पूर्ववत, अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के लिए अधिकारियों के दावे भी मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे.'.

8. उक्त विनियमों के विनियम 23 में, –

(a) उप-विनियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: –

"(1) 1 नवंबर, 2022 से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर कार्यरत है, तो उस स्थान पर कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा.

तालिका

स्थान	**दर**
(1)	(2)
(i) क्षेत्र 1 और उससे ऊपर के स्थान और गोवा राज्य में	₹ 2300/- प्रति माह
(ii) पाँच लाख और उससे अधिक आबादी वाले स्थान और राज्य की राजधानियाँ और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	₹ 1900/- प्रति माह

(2) 1 नवंबर, 2022 से, विशेष क्षेत्र भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगी:

बशर्ते कि अनुसूची के कॉलम (1) में इंगित किसी भी स्थान पर, यदि उप-विनियम (10) के तहत प्रदत्त पहाड़ी और ईंधन भत्ता भी देय है, तो अधिकारी दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ता आहरित करने के पात्र होंगे, दोनों के नहीं.";

(b) उप-विनियम (4), (5), (6) और (7) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी का शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और यदि उसकी एक या अधिक संतान पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो वह नवीन स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक, प्रति संतान ₹2500/- प्रति माह की दर से, अधिकतम दो बच्चों के लिए, मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा:

बशर्ते कि यह भत्ता उस अवस्था में रोक दिया जाएगा, यदि सभी संतान पहले के स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देते हैं.

(5) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियाँ प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन का 7.75 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹7500/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते आहरित कर सकता है जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थापित होने पर मिलते:

बशर्ते कि यदि ऐसा अधिकारी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है या ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्त किया जाता है जिसका स्वामित्व बैंक के पास नहीं है जहां वह प्रतिनियुक्ति से तत्काल पूर्व पदस्थापित था, या ऐसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जिसका स्वामित्व बैंक के पास नहीं है, वहां उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम ₹3750/- प्रति माह तक सीमित होगा:

बशर्ते यह भी कि यदि किसी अधिकारी को किसी महानगर या प्रमुख A श्रेणी के शहर में एक ही नगरपालिका क्षेत्र या शहरी समूह के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, और वह स्थान मूल शाखा या कार्यालय से 20 किलोमीटर या अधिक दूरी पर है तो उसे विनियम 41 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित विराम भत्ता देय होगा.

(6) 1 अप्रैल, 2024 को एवं उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को एक समय में कम से कम चार दिन या एक कैलेंडर माह के दौरान कुल मिलाकर चार दिन की निरंतर अवधि के लिए उच्चतर वेतनमान में किसी पद पर स्थानापन्न होना अपेक्षित है, तो उसे अपने मूल वेतन के 15% के बराबर स्थानापन्न भत्ता मिलेगा, जो उस अवधि के लिए आनुपातिक होगा जिसके लिए वह स्थानापन्न कार्य करता है और स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में गिना जाएगा:

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के तहत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा.

(7) 1 अप्रैल 2024 को एवं उसके बाद से अधिकारी प्रत्येक तिमाही के लेखाबंदी के लिए प्रति तिमाही ₹1500/- के लेखाबंदी भत्ते के लिए पात्र होंगे.";

(c) उप-विनियम (10), (11), (12) और (13) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: –

"(10) 1 नवंबर, 2022 से, एक अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पहाड़ी और ईंधन भत्ते के लिए होगा, अर्थात्: –

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मर्करा शहर	वेतन का 2% जो अधिकतम ₹1450/- प्रति माह.
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% जो अधिकतम ₹1900/- प्रति माह.
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% जो अधिकतम ₹3750/- प्रति माह

नोट :

a) ऐसे अधिकारी जो न्यूनतम 750 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर पदस्थापित हैं और उच्च ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जहां 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पार किए बिना नहीं पहुँचा जा सकता है, उन्हें उसी दर पर पहाड़ी और ईंधन भत्ता दिया जाएगा जो 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केंद्रों पर देय है.

b) पहाड़ी और ईंधन भत्ता, जो वर्तमान मे किसी ऐसे केंद्र पर दिया जा रहा है, जो उपरोक्त वर्गीकृत स्थान में शामिल नहीं है, वापस ले लिया गया है.

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी जो 1 मई 1989 से पहले ऐसे केंद्रों पर पदस्थापित था और उस तिथि के बाद भी उसी केंद्र पर पदस्थापित रहता है तो, 30 अप्रैल 1989 को वह जिस भत्ते की राशि प्राप्त कर रहा था, वह राशि संरक्षित की जाएगी और जब तक वह उसी वेतनमान में उस केंद्र पर पदस्थापित रहता है, तब तक उसे हर माह भुगतान की जाएगी.

(11) 1 नवंबर 2022 से, अधिकारी 850/- रुपये प्रति माह के शिक्षण भत्ते के साथ-साथ उस पर लागू महंगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे.

नोट: शिक्षण भत्ता एवं उस पर लागू महंगाई भत्ते को अधिवर्षिता लाभों, अर्थात परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना), पीएफ और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के लिए नहीं गिना जाएगा.

(12) 1 नवंबर 2022 से, वे अधिकारी जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में पदस्थापित हैं, वे 1200/- रुपये प्रति माह के नियत स्थान भत्ते के लिए पात्र होंगे. इस नियत स्थान भत्ते को महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ, अर्थात परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा.

(13) (a) वित्तीय वित्त वर्ष 2023-24 से, सभी अधिकारी कर्मचारियों को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार निम्नलिखित चयनित मानदंडों के आधार पर कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) देय होगा:

(i) चालू खाता और बचत खाता (कासा)

(ii) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)

(iii) विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए)

(iv) गैर-ब्याज आय

(v) कुल व्यवसाय

(vi) लाभप्रदता

(vii) परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) या इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)

(viii) सरकारी योजनाएँ.

(b) कार्य निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा खण्ड (a) में उल्लिखित मैट्रिक्स के आधार पर वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के 0-15 (अधिकतम) दिनों की संख्या में देय होगी.

9. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, –

(a) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(1) 1 नवंबर, 2022 से, एक अधिकारी स्वयं और परिवार हेतु चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, स्वयं अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर जिसमें व्यय की गयी राशि खाते के विवरण से समर्थित होती हो, दावा राशि के लिए नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पात्र होगा, अर्थात्: –

तलिका

श्रेणी	**प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा**
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹13000/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	₹15400/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो.

नोट 1: – किसी भी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि यह किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक न हो.

नोट 2: – कैलेंडर वर्ष **2022** के लिए**,** चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति दो महीनों**,** अर्थात् नवंबर **2022** और दिसंबर **2022** के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी.**".**

(b) उप-विनियम (3) के बाद**,** निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा**,** अर्थात्: **–**

"(4) सभी अधिकारी नेत्र परीक्षण के लिए प्रति वर्ष ₹500/- की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे."

10. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(2) उप-विनियम (1) में निहित प्रावधानों के बावजूद, बैंक किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए अधिकारी द्वारा, 1 नवम्बर 2022 से, उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत या आवास के लिए मानक किराया राशि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा जो कि;

बशर्ते कि यदि अधिकारी को ऐसे आवास में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, तो वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर राशि बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी:

बशर्ते यह भी कि, यदि ऐसा आवास बैंक द्वारा उपलब्ध किया जाता है, तो बिजली, पानी, गैस और रख-रखाव प्रभार, अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे.".

11. उक्त विनियमों के विनियम 31 में, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"बशर्ते कि, यदि स्वीकृति प्राधिकारी किसी अधिकारी का अवकाश अस्वीकृत करता है या स्थगित करता है, तो स्वीकृति प्राधिकारी को इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा.".

12. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) 1 अप्रैल, 2024 से, एक अधिकारी एक वर्ष में चार अवसरों पर आधे दिन के लिए दो दिन का आकस्मिक अवकाश लेने का पात्र होगा, जिसमें से दो अवसर प्रातः और दो अवसर अपरान्ह काल होंगे:

बशर्ते कि इस श्रेणी के तहत आकस्मिक अवकाश 24 घंटे पहले आवेदन करने के बाद लिया जाएगा.

बशर्ते कि जब अवशेष आकस्मिक अवकाश को अप्रयुक्त अवकाश खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, तो शेष अवकाश में कोई भिन्नांश (फ्रेक्शन) होने की स्थिति मे, उसे अनदेखा किया जाएगा.".

13. उक्त विनियमों के विनियम 33 में, –

(a) उप-विनियम (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 जून 2015 से, अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक विशेषाधिकार अवकाश संचित किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि 1 अप्रैल 2024 से, विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ पचपन दिनों तक सीमित रहेगा:

बशर्ते कि, अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पाँच दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण का भी पात्र होगा और जो अधिकारी पचपन वर्ष और उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के पात्र होंगे.

(5) अवकाश किराया रियायत प्रयोजन को छोडकर, विशेषाधिकार अवकाश लेने हेतु इच्छुक अधिकारी को सामान्यतः ऐसे अवकाश लेने के लिए कम से कम दस दिन पूर्व सूचना देनी होगीः

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों को विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने के लिए ऐसी दस दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी.";

(b) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"(7) 1 अप्रैल 2024, से विशेषाधिकार अवकाश की गणना के लिए आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश के अतिरिक्त सभी प्रकार के अवकाश को छोड़ दिया जाएगा.".

14. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, –

(a) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"बशर्ते कि 1 अप्रैल 2024 से अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह, की दर से चिकित्सा अवकाश के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी की पूरी सेवा में चिकित्सीय अवकाश (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त चिकित्सीय अवकाश सहित) की कुल संख्या सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी.";

(b) उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्: –

"(6) 1 अप्रैल, 2024 से, एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी अपने आठ वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी में देखभाल हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चिकित्सा अवकाश उपयोग कर सकता है.

(7) 1 अप्रैल, 2024 से, महिला कर्मचारी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए प्रति माह एक दिन की चिकित्सा अवकाश का उपयोग कर सकती है.

(8) 1 अप्रैल, 2024 से, कोई भी अधिकारी अपने पंद्रह वर्ष और उससे कम आयु के दिव्यांग बच्चे की बीमारी के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की अवधि के लिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, चिकित्सा अवकाश का उपयोग कर सकते हैं.

(9) 1 अप्रैल, 2024 से, अट्ठावन वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिकारी, अपने पति या पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर, जो कि कार्यस्थल के अलावा किसी अन्य केंद्र पर स्थित हों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा अवकाश का उपयोग कर सकते हैं.".

15. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, –

a) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(1) एक महिला कर्मचारी, अपने वर्तमान वेतन पर, किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह और अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 12 माह के लिए मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म लेने के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह होगी:

बशर्ते यह भी कि 1 अप्रैल, 2024 से, एक प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि बारह माह होगी.

बशर्ते यह भी कि मातृत्व अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाकर, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, लिया जा सकता है.";

b) उप- विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(4) एक महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान एक बार, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए अधिकतम नौ माह का अवकाश निम्नलिखित नियमों व शर्तों के तहत ले सकती है:- अर्थात्: –

a. अवकाश केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए दिया जाएगा;

b. बच्चे को गोद, उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया हो और यह अवकाश स्वीकृत कराने के लिए कर्मचारी बैंक को दत्तक ग्रहण विलेख प्रस्तुत किया हो;

c. सरोगेसी के माध्यम से बच्चे के जन्म के मामलों में जैविक माताओं को भी अवकाश उपलब्ध होगा;

d. अवकाश का लाभ पूरी सेवा अवधि के दौरान बारह माह की समग्र पात्रता के भीतर लिया जा सकेगा.";

c) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्: –

"(7) 1 अप्रैल 2024 से, इनविट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार के लिए बारह माह की समग्र सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है.

(8) 1 अप्रैल 2024 से, किसी मृत जन्म या शिशु के जन्म के 28 दिनों के भीतर मृत्यु होने की स्थिति में महिला कर्मचारी साठ दिनों तक का विशेष मातृत्व अवकाश ले सकती है.".

16. उक्त विनियमों के विनियम 37A के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"37(A) विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश— (1) 1 नवंबर 2020 से, एक अधिकारी, जिस शाखा मे कार्यरत है या जिस स्थान पर निवास करता है, उस स्थान के कर्फ्यू, दंगे, निषेधात्मक आदेश, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित होने पर, विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा.

(2) 1 नवंबर, 2020 से, शारीरिक या आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग अधिकारी चार दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे.

(3) 1 अप्रैल 2024 से, अखिल भारतीय अधिकारी संघों या एसोसिएशनों के प्रमुख पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम पच्चीस दिनों का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा.

(4) 1 अप्रैल 2024 से, कोई अधिकारी यदि किसी विभागीय जांच में बचाव प्रतिनिधि है, तो वह, किसी अधिकारी के बचाव प्रस्तुतीकरण तैयार करने के लिए एक दिन का विशेष अवकाश ले सकता हैं:

बशर्ते कि यह विशेष अवकाश एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों पर लिया जा सकेगा.

(5) किसी अधिकारी को, समय-समय पर केंद्र सरकार की दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड के निर्णय द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश और कोई अन्य विशेष अवकाश भी, प्रदान की जा सकती है.".

17. उक्त विनियमों के विनियम 37(A) के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"37 (B). शोक अवकाश— किसी अधिकारी को परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता और सास-ससुर) के निधन पर बोर्ड द्वारा समय-समय निर्धारित अवधि के अनुसार शोक अवकाश प्रदान किया जाएगा:

यह भी उपबंधित है कि बीच में आने वाली छुट्टियाँ भी इस अवकाश की अवधि में शामिल की जाएंगी:

यह भी उपबंधित है कि उक्त अवकाश का उपयोग मृत्यु के तिथि से अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उक्त अवकाश को "विशेषाधिकार अवकाश" की गणना के उद्देश्य से 'सक्रिय सेवा' नहीं माना जाएगा.".

18. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, –

(a) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(1) 1 अप्रैल 2024 से, जहाँ भी किसी अधिकारी को ड्यूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्:-

(a) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी किसी भी ट्रेन में, एसी प्रथम श्रेणी में प्रीमियम ट्रेनों सहित, अर्थात राजधानी या शताब्दी या तेजस या वंदे भारत या अमृत भारत (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) आदि में, यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे:

परंतु यदि व्यावसायिक या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है तो एसे अधिकारी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकते हैं;

(b) मध्य प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी ऊपर खण्ड (a) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने हेतु पात्र होंगे:

बशर्ते कि यदि यात्रा की की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है तो वे हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकते हैं:

इसके अतिरिक्त यदि व्यावसायिक या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है, तो ऐसे अधिकारी कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकते हैं;

(c) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी ऊपर खण्ड (a) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन के एसी प्रथम श्रेणी में या हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) में यात्रा करने हेतु पात्र होंगे;

(d) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी हवाई या रेल लाइन से न जुड़े स्थानों के मध्य कार से यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो;

परंतु यदि जब दो स्थानों के मध्य की दूरी का बड़ा हिस्सा हवाई या रेल से ही तय किया जा सकता हो, तो सामान्यतः केवल शेष दूरी ही कार से तय की जानी चाहिए;

(e) किसी भी श्रेणी के अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्वयं के वाहन, टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत की जा सकती है;

(f) किसी भी श्रेणी या वेतनमान के अधिकारी, सड़क, हवाई या रेल से न जुड़े स्थानों के मध्य डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होंगे;

(g) कोई भी अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) में किराए हेतु पात्र होगा.

नोट 1: ट्रेन किराए पर लगाया गया वस्तु एवं सेवा कर शुल्क पात्रता के अतिरिक्त देय होगा.

नोट 2: वर्तमान डायनेमिक किराया प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, टिकिट बुकिंग की तिथि पर लिए गए ट्रेन टिकटों के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी.";

(b) उप-विनियम (2) में, खण्ड (ii) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, 1 फरवरी, 2023 से, प्रति किलोमीटर की दर निम्नानुसार होगी:

तालिका

क्र सं	वाहन का प्रकार	प्रति किलोमीटर प्रतिपूर्ति की संशोधित दर
1	चार पहिया वाहन - 1000 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता	₹ 11.00/-
2	चार पहिया वाहन - 1000 सीसी से कम की इंजन क्षमता	₹ 9.00/-
3	मोटर साइकिल और स्कूटर	₹ 6.00/-
4	मोपेड	₹.4.00/-."

(c) उप-विनियम (4) में, खण्ड (a) और (b) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: –

'4 (a) 1 अप्रैल 2024 से, निम्न तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान का कोई भी अधिकारी कॉलम (2) में निर्धारित संबंधित दरों पर *प्रतिदिन* विराम भत्ते हेतु पात्र होंगे, अर्थात:-

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी या वेतनमान	विराम भत्ता			
	महानगर ₹	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर ₹	क्षेत्र I ₹	अन्य स्थान ₹
(1)	**(2)**			
वेतनमान VI एवं उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
वेतनमान IV एवं V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
वेतनमान I, II एवं III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800

यह भी उपबंधित है कि अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक है, तो विराम भत्ता उपरोक्त दर का आधा होगा.

स्पष्टीकरण-विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए, "प्रतिदिन" का तात्पर्य चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी भाग से होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" का तात्पर्य आठ घंटे की अवधि से कम नहीं होगा.

(b) निम्न तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान के अधिकारी, कॉलम (2) में निर्दिष्ट संबंधित स्टार श्रेणी के भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के होटलों में एकल कमरे के आवास शुल्क तक सीमित, होटल के वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं:

तालिका

अधिकारी की श्रेणी या वेतनमान	ठहरने की पात्रता
(1)	**(2)**
वेतनमान VI एवं अधिक	4* होटल
वेतनमान IV एवं V	3* होटल
वेतनमान II एवं III	2* होटल (एसी रहित)
वेतनमान I	1* होटल (एसी रहित)

बोर्ड, ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं के अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की सीमा का निर्धारण, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कर सकता है.'

19. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, –

(a) उप-विनियम (2) में, खण्ड (i) में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"बशर्ते 17 मार्च 2023 से, स्थानांतरित होने वाले अधिकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने निजी सामान के परिवहन के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिपमेंट केवल लॉरी के माध्यम से हो रहा है, निम्नलिखित सीमाओं तक जाएगी:

तालिका

मूल वेतन (रु.)	**जहां अधिकारी का परिवार है.**	**जहां अधिकारी का परिवार नहीं है.**
48480-64820	3000 किलो या 3 टन	1500 किलो या 1.5 टन
64821 एवं अधिक	12000 किलो या 12 टन	2500 किलो या 2.5 टन

बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिपूर्ति की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं: –

तालिका

किलोमीटर में दूरी	प्रति किलोमीटर रुपये में संशोधित दर
1000 किलोमीटर तक	₹ 5.90/-
1000 किलोमीटर से अधिक	₹ 4.25/-

नोट 1: उपरोक्त दरें स्लैब के आधार पर लागू होंगी, अर्थात पहले 1000 किलोमीटर के लिए लागू दर ₹ 5.90 प्रति किलोमीटर की होगी और उसके बाद यह ₹ 4.25 प्रति किलोमीटर की दर से होगी.

नोट 2: यदि अधिकारियों का स्थानांतरण 300 किलोमीटर तक या उससे कम दूरी पर होता है, तो प्रतिपूर्ति 300 किलोमीटर तक अनुमत की जा सकती है.

नोट 3: पहाड़ी क्षेत्रों से अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित अधिकारियों के विषय में, पहाड़ी क्षेत्र में तय की गई दूरी के लिए लागू दर के दोगुना तक एवं शेष दूरी के लिए सामान्य दर पर प्रतिपूर्ति दी जाएगी.";

(b) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(3) दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से, स्थानांतरण पर गए अधिकारी अपनी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से संबंधित व्ययों के लिए, नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट एकमुश्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा;–

तालिका

श्रेणी या वेतनमान	राशि
(1)	(2)
वरिष्ठ प्रबंधन एवं शीर्ष कार्यपालक श्रेणी (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	₹ 50000/-
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	₹ 40000/-

(c) उप-विनियम (4) में, उपबंध के लिए, निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, जहाँ बैंक द्वारा किसी अधिकारी को नई पदस्थापना के स्थान पर कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और जहां ऐसे अधिकारी को अपरिहार्य कारणों से, कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है, तो सक्षम प्राधिकारी वस्तु-स्थिति के आधार पर, ऐसे अधिकारी को, नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के लिए अथवा जब तक उसे क्वार्टर उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, जो भी पहले हो, तक आवास और भोजन शुल्क या विराम भत्ता, देने पर विचार कर सकता है.".

20. उक्त विनियमों के विनियम 44 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"44(1) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी अपने गृह निवास स्थान की यात्रा के लिए, दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार, अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह निवास स्थान पर और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में, भारत में किसी भी स्थान पर, सबसे छोटे मार्ग से यात्रा कर सकता है.

(2) 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी, वैकल्पिक रूप से, एक अधिकारी चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान, यथा स्थिति अनुसार, किसी भी समय विकल्प का प्रयोग करके, अपनी अवकाश यात्रा रियायत (निवास स्थान की यात्रा के अलावा) का नकदीकरण कर सकता है, जिस पर कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधीकारी 5,500 किलोमीटर (एक तरफा) की दूरी तक और वरिष्ठ मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी 6,500 किलोमीटर (एक तरफा) की दूरी तक, पात्र श्रेणी के ट्रेन यात्रा किराये के बराबर की राशि प्राप्त करने का पात्र होगाः

उपबंध यह है कि अवकाश यात्रा रियायत के नकदीकरण का विकल्प चुनने वाला अधिकारी, ऐसे ब्लॉक के दौरान जिसमें इस तरह के नकदीकरण का लाभ उठाया जाता है, वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए केवल एक बार दावा प्रस्तुत करेगा और अवकाश यात्रा रियायत सुविधा लेते समय विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

(3) अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेने के लिए अधिकारी जिस माध्यम और श्रेणी से यात्रा करेगा वह वही होगा जिसके लिए वह स्थानांतरण पर यात्रा के लिए सामान्य रूप से पात्र होता है और अन्य नियम और शर्तें जिनके अधीन एक अधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाया जा सकता है, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी:

उपबंध यह है कि 1 अप्रैल, 2024 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय इकोनॉमी क्लास में सबसे न्यूनतम किराये में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा जिसके लिए प्रतिपूर्ति, या तो वास्तविक किराया या ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित किराए में से जो भी कम हो, की होगी और यही नियम तब लागू होंगे जब कोई मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III का अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेता है और जहां दूरी 500 किलोमीटर से कम हो.

(4) प्रत्येक चार वर्षों में एक बार जब कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेता है, तो उसे एक बार में अधिकतम तीस दिनों के अपने विशेषाधिकार अवकाश को सरेंडर करने और नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है या फिर दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह स्थान और दूसरे ब्लॉक मे भारत के किसी भी अन्य स्थान की यात्रा के लिए विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की अनुमति अधिकतम पंद्रह दिनों के लिए है अथवा किसी एक ब्लॉक में अधिकतम तीस दिनों के लिये अनुमति दी जा सकती है और अवकाश नकदीकरण के उद्देश्य से उस माह के लिए देय सभी परिलब्धियां जिसके दौरान अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाया जाता है, स्वीकार्य होंगीः

उपबंध यह है कि अधिकारी अपनी इच्छानुसार प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने के लिए एक दिन के अतिरिक्त विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण कर सकता है, बशर्ते कि वह इस आशय का एक पत्र बैंक को दे तथा बैंक को कोष में राशि भेजने के लिए प्राधिकृत करे.

(5) यदि पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हैं, तो वे अवकाश यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से उठा सकते हैं.

(6) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु, अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से प्रारंभ होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का पात्र रेल किराया अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा.

(7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई या कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड , सिक्किम, जम्मू और कश्मीर या किसी अन्य क्षेत्र में दूर-दराज के क्षेत्र की शाखाएँ जो सीधे ट्रेन लाइन से नहीं जुड़ी हैं, वहां के कर्मचारियों को उनकी सामान्य पात्रता के अतिरिक्त नजदीकी प्रमुख रेल्वे स्टेशन तक की पात्र किराया प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी.

(8) अवकाश यात्रा रियायत सुविधा, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अधिकारी के अनुरक्षक के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत होगी, अर्थातः-

(a) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति, प्रत्येक अवसर पर प्राप्त की गयी हो;

(b) अधिकारी की शारीरिक दिव्यांगता ऐसी हो कि यात्रा के लिए अनुरक्षक की आवश्यकता हो. संदेह की स्थिति में विभागाध्यक्ष या नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा;

(c) एसे बेंचमार्क दिव्यांग अधिकारी के साथ यात्रा करने हेतु कोई वयस्क पारिवारिक सदस्य आश्रित के रूप में साथ न हो;

(d) ऐसे बेंचमार्क दिव्यांग अधिकारी और उसके अनुरक्षक को रेल अथवा बस किराये में छूट, यदि कोई हो, का लाभ लेना होगा, जो ऐसे मामलों में रेलवे या राज्य सड़क परिवहन प्राधिकारियों द्वारा दी जाती है; और

(e) कोई अन्य पारिवारिक सदस्य जो आश्रित के रूप में अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र है, वह यात्रा पर ऐसे बेंचमार्क दिव्यांग अधिकारी के साथ नहीं जाता है.

(9) यदि किसी अधिकारी ने अग्रिम रूप से अवकाश यात्रा रियायत या अवकाश के लिए आवेदन किया है तथा टिकट भी बुक कर लिया है परंतु प्रबंधन द्वारा अवकाश यात्रा को अस्वीकार या स्थगित कर दिया जाता है, तो टिकिट रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी.

(10) यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा में अवकाश यात्रा रियायत या अवकाश के लिए आवेदन करता है और उसे स्वीकृत किया जाता है लेकिन रेल टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं होती है, तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल के तहत बुक किए गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी.".

21. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

"अनुसूची

[विनियम 23 के उप-विनियम (2) देखें]

1 नवंबर, 2022 से, एक अधिकारी तालिका में निर्दिष्ट अनुसार, विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि वे पूरी तरह या आंशिक रूप से, वापस या संशोधित नहीं किए जाते हैं, अर्थात्: –

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र.	स्थान	भत्ता (₹)	
		₹48,481/- से कम वेतन	**₹48,481/-से अधिक वेतन**
1	**मिज़ोरम**		
	1. चिम्प्तुइपुई जिला तथा लुंगली जिले में लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्र	4100	5300
	2. लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण लुंगली जिला	4100	5300
	3. संपूर्ण आईजोल जिला	2700	3400
2	**नागालैंड**	4100	5300
3	**अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह**		
	(a) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार एवं नारकोण्डम द्वीपसमूह	4100	5300
	(b) दक्षिण अंडमान (पोर्टब्लेयर सहित)	4100	5300
4	**सिक्किम**	4100	5300
5	**लक्षद्वीप द्वीपसमूह**	4100	5300
6	**असम**	1000	1200
7	**मेघालय**	1000	1200
8	**त्रिपुरा**		
	(a) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(b) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण त्रिपुरा.	2700	3400
9	**मणिपुर**	2700	3400
10	**अरूणाचल प्रदेश**		
	(a) अरूणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(b) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण अरूणाचल प्रदेश	4100	5300

11 A	**केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर**		
	1) **कठुआ जिला :** निआबतबानी, लोही, मल्हार एवं मछोदी	4100	5300
	2) **उधमपुर जिला :**		
	(a) डुडू बसंतगढ़, लेण्डर भामग इलाका, ठाकराकोटे एवं नगोट	4100	5300
	(b) नीचे (c) में शामिल क्षेत्रों के अलावा माहौर तहसील के सभी क्षेत्र	4100	5300
	(c) कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और माहौर तहसील में कैसी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र	4100	5300
	3) **डोडा जिला:** कश्मीर तहसील में पैडर और नियाबत नौगांव के क्षेत्र	4100	5300
	4) **बारामूला जिला:**		
	(a) संपूर्ण गुरेज़-नीराबत, तंगदार तहसील और केरन क्षेत्र	4100	5300
	(b) मछिल	4100	5300
	5) पूंछ और राजौरी जिला : दोनों जिलों में पूंछ तथा राजौरी और सुंदरबानी तथा अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र	2700	3400
	6) ऐसे क्षेत्र जो ऊपर कॉलम (1) से (5) में शामिल नहीं किए गए हैं परंतु जो लाइन ऑफ ऐक्च्युल कंट्रोल से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं अथवा उन स्थानों पर हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए जाते हैं.	2700	3400
11 B	**केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख**: **लेह जिला**: नोयामा और नोब्रे ज़ंस्कर जिले के अन्य सभी क्षेत्र	4100	5300
12	**हिमाचल प्रदेश**		
	1) चंबा जिला		
	a) पांगी तहसील, भरमौर तहसील में निम्नलिखित पंचायतें और गाँव: पंचायतें: बड़गांव, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और टुंडा गाँव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा केनारसी	4100	5300
	b) भरमौर तहसील, उपरोक्त (a) में शामिल पंचायतों और ग्राम को छोड़कर	4100	5300
	c) भारतीयत तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत सहित)	2700	3400

	2) किन्नौर जिला		
	a) आसरंग, चितकुल और हांगो कुनो/चारंग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, पूह उपमंडल, ऊपर विनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
	b) उपर्युक्त (a) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिला.	4100	5300
	3) कुल्लू जिला		
	a) निरमन्द तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवर और सरगा की ग्राम पंचायत शामिल हैं.	4100	5300
	b) बाहरी सेराज (निरमन्द तहसील में जकात-खाना और बुराव गांव छोड़कर संपूर्ण जिला बाहरी सेराज क्षेत्र और पण्डाबिस के परगना को छोड़कर निरमंद तहसील के जगत - खाना और बुरांव गांव सहित)	2700	3400
	4) लाहौल और स्पीती जिला: संपूर्ण लाहौल और स्पीती जिला	4100	5300
	5) शिमला जिला		
	a) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र कुट, लबाना-सदाना, सरपाड़ा और चंडी- बराण्डा की पंचायतों सहित.	4100	5300
	b) दोडरा-कवाड़ तहसील, रामपुर में डारकाली की ग्राम पंचायत, कशापठ तहसील और परगना सराहन के घोड़ी चैबीस और मुनिश.	4100	5300
	c) I) चोपाल तहसील i. धोरिस, पंजगांव, पत्सनाऊ, नौबीस और सराहन परगना की तीन कोटी, ii. ताकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, iii. परगना बराबीस, iv. कसबा रामपुर और रामपुर तहसील का रामपुर परगना का घोरी-नाग, II) शिमला नगर और इसके उपनगर (धाली, जटोग, कासुम्बपटी, मशोबरा, तारादेवी और टुटु).	2700	3400
	(6) कांगड़ा जिला :		
	a) बड़ा भांगल और छोटा भांगल का क्षेत्र.	4100	5300
	(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय: a) महिला आईटीआई, दारी, b) मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर,	2700	3400

	c) बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह, d) सीआरएसएफ कार्यालय, निचला सकोह, e) कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार, f) एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर, g) क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी, h) वन निगम कार्यालय, शामनगर, i) चाय फैक्टरी, दारी, j) आईपीएच उपमंडल, दारी k) बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर l) बिनवा परियोजना, शामनगर II) पालमपुर नगर, जिसमें पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर और इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन पालमपुर नगर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं- a) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर, b) मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, c) रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंडला, d) विद्युत उप-डिवीजन, लोहना, e) डीपीओ निगम, बुंडला, f) विद्युत एचपीएसई डिवीजन, घुग्गर		
	(7) **मण्डी जिला:**		
	i) जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील में पंचायतें: बागरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैण, गटू, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार कल्हणी, कालवान, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी,सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, ii) धर्मपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कमलाह, सकलाना, तान्यार और तारखोलाह, करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल,महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, iii) सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा	2700	3400

	(8) **सिरमौर जिला:** (a) निम्नलिखित पंचायतें **(i)** बनी, बाखली (पच्छाद तहसील), **(ii)** भरोग भनेरी (पांवटा तहसील), **(iii)** बिड़ला (नाहन तहसील), **(iv)** डिब्बर (पच्छाद तहसील) **(v)** थाना कसोगा (नाहन तहसील) और **(b)** थांसगिरि पथ	2700	3400
	(9) **सोलन जिला**: मांगल पंचायत.	2700	3400
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं	1000	1200
13	**उत्तराखण्ड** : चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के तहतआने वाले क्षेत्र	4100	5300
14	**पश्चिम बंगाल:** दक्षिण **24** परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज लाइन के दक्षिण में), अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पत्थर प्रतिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुसीघटा, (कुल्टी).	1000	1200.”.

पॉपी शर्मा, महाप्रबंधक–मानव सम्पदा प्रबंधन

[विज्ञापन-III/4/असा./124/2025-26]

नोट: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 भारत के राजपत्र में 1 जुलाई, 1979 को प्रकाशित किए गए और बाद में भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात: -

क्र.सं.	**राजपत्र अधिसूचना क्रमांक**	**आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि**
1.	43	24.10.1987
2.	16	21.04.1990
3.	43	25.10.1996
4.	37	13.09.1998
5.	42	20.10.2001
6.	26	28.06.2003
7.	79	15.05.2006
8.	115	29.07.2006

9.	361	11.12.2014
10.	275	11.07.2017
11.	63	28.01.2022
12.	945	27.11.2024

विवरणात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए ये विनियम, इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट आदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ एवं बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघ के मध्य हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं. इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

CENTRAL BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2025

F. No. CO:HCM:IRP:2025-26:51 —In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2025.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, —

   (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -

   '(f) "family" in relation to an officer for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means –

   (i) the spouse of the officer;

   (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);

   (iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with forty per cent or more disability

   (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;

   (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and

   (vi) parents wholly dependent on the officer:

   Provided that in the case of physically and mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to however fulfilling the income criteria for dependent.

   Explanation 1.—The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

***Explanation 2.*—**For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Fare Concession, for all officers' that is male or female, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The officer shall have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

Explanation 3.— This definition shall be effective from the 1st day of April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st day of November, 2024.'.

3. In regulation 4 of the said regulations, —

(a) the *Explanation* to sub-regulation 7 shall be omitted;

(b) for sub-regulations (8), 9 (a) and 9 (b), the following shall be substituted, namely:—

"(8) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(i) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs. 140500 - 4000/4 – 156500

(ii) Senior Management Grade

Scale V = Rs.120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs.102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(iii) Middle Management Grade

Scale III = Rs.85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs.64820–2340/1 - 67160 -2680/10 – 93960

(iv) Junior Management Grade

Scale I = Rs.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

***Explanation.*—** Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub–regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(9) The scale of pay for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Top Executive Grade Scale VIII = Rs. 253000 - 9000/4 - 289000

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I-III – 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V – 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII – 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I-III – 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V –19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII – 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(13) On and from 1st day of November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale II-III – 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V – 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII –31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(14) The Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Special Allowance Scale VIII – 28.30 per cent. of Basic Pay plus Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to in sub-regulations (11) to (14) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity".

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: –

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (8) and (9) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following, namely:–

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (8) and (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment (s) in the next higher Scale only as specified in clause (c) and clause (d) below, subject to their crossing the efficiency bar;

(c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments, each such increment for every two completed years of service, of which the first two shall be of Rs. 2680/– each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments each of Rs. 2980/- for every two completed years of service:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments, each such increment for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs. 2980/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that an officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments, each such increment for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments each of Rs. 4000/- for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

(h) officers in Top Executive Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments, each of such for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs. 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs. 4340/-:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs. 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs. 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs. 4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

(i) officers in Top Executive Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments each of Rs. 4340/- for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later.

Note**:** the increments as mentioned in clauses, (c) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.";

(b) in sub-regulation (2),—

(i) before the explanation, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing CAIIB or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers' examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers' examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed CAIIB or CAIIB-II shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing CAIIB or CAIIB II, whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March, 2024, has already acquired or shall acquire hereinafter JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB II) after reaching top or maximum of the scale of pay [in case of JAIIB(CAIIB-I) or CAIIB(CAIB-II)] or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay [in case of CAIIB(CAIIB-II)], and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.".

(ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: –

"(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely: –

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part-I (CAIIB-I)	Rs.1370/- per month one year after reaching the maximum of the Scale.
Those who have passed Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB) or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II)	(i) Rs1370/- per month one year after reaching the maximum of the Scale; (ii) Rs.3425/- per month two years after reaching the maximum of the Scale; and (ii) Rs.5480/- per month three years after reaching the maximum of the Scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers(either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first instalment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent instalments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first instalment of Professional Qualification Pay.";

(iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: –

"(vi) officers who were in the services of the Bank as on the 1st November 2022 and have already completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and drawing Professional Qualification Pay-II, shall be eligible for Professional Qualification Pay-III, one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1ststagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.

(viii) officers in Scale VIII shall not be eligible for Professional Qualification Pay and the same shall not form part of payslip components.";

(c) in sub-regulation (3), —

(i) the Note after clause (g) shall be omitted;

(ii) after clause (g), the following shall be inserted, namely: –

"(h) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service: –

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 1st November on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	**(2)**	**(3)**
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954

4000	298	4298
4340	323	4663.

(i) other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance for the Chief General Manager in Top Executive Grade Scale VIII, shall be the at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service: –

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	**(2)**	**(3)**
9000	669	9669.

Note:

"(a) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(b) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;

(c) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.

(d) On and from the 1st November 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub- regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November 2000.

(e) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(f) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.".

5. For regulation 7, the following regulations shall be substituted, namely: –

"(7) Categorisation on appointed date.— Subject to the provisions of regulation 6, the various posts of officers in the Bank on the appointed date shall be categorised as specified in the Table below: –

TABLE

POSTS	GRADE or SCALE IN WHICH PLACED
(1)	(2)
Chief General Manager	Top Executive Grade- Scale VIII
General Manager	Top Executive Grade – Scale VII
Joint General Managers / Deputy General Managers	Top Executive Grade – Scale VI

Assistant General Manager	Senior Management Grade - Scale V
Chief Manager	Senior Management Grade – Scale IV
Senior Manager	Middle Management Grade – Scale III
Manager	Middle Management Grade – Scale II
Assistant Manager	Junior Management Grade - Scale I

Provided that any difficulties and anomalies arising out of the above categorisation, it shall be referred to a committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision.".

6. in regulation 21 of the said regulations, –

(a) after sub-regulation (7) and before the *Explanation*, the following shall be inserted, namely:—

"(8) On and from the 1st November, 2022, —

(a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;

(b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01% change in Dearness Allowance on pay' for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;

(c) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1stFebruary based on the following, namely:—

D.A release date	Quarterly average of CPI points of the months	Applicable for the month
(1)	(2)	(3)
1st May	January, February and March	May, June and July
1st August	April, May and June	August, September and October
1st November	July, August and September	November, December and January
1st February	October, November and December	February, March and April;

(d) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;

(e) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.";

(b) in the *Explanation*, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: –

"(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) to the *Explanation* in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance".

7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

'(1) On and from the 1st November, 2022,—

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:

TABLE

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.00% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.00% of Pay
(iii) Other Places	8.00% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note: - The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.'.

8. In regulation 23 of the said regulations, –

(a) for sub regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: –

"(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable.

TABLE

Places	**Rate**
(1)	(2)
(i) Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs. 2300/- per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair.	Rs. 1900/- per month.

(2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both.";

(b) for sub regulations (4), (5), (6) and (7), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

"(4) On and from the 1stApril, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1stApril, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where an Officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is 20 kms and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as mentioned in sub-regulation (4) of regulation 41.

(6) On and from 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that, where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

(7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.";

(c) for sub-regulations (10), (11), (12) and (13), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

"(10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the Table below, namely: –

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

Note:

(a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any Centre not covered by the above classification shall stand withdrawn.

Provided that in respect of an officer who was posted in such a Centre prior to 1st May 1989 and remains posted at that Centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on 30th April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that Centre in the same scale of pay.

(11) On and from the 1st November 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(12) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance, which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive (PLI) shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters:

(i) Current Account and Saving Account (CASA)

(ii) Non-Performing Assets (NPA)

(iii) Special Mentioned Accounts (SMA)

(iv) Non–Interest income

(v) Total Business

(vi) Profitability

(vii) Return on Assets (ROA) or Return on Equity (ROE)

(viii) Government Schemes.

(b) The Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic Pay + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).

9. In regulation 24 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely: –

"(1) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of own certificate of the officer of having incurred such expenditure, supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely: –

TABLE

Grade	**Maximum limit of reimbursement**
(1)	**(2)**
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less.

Note 1: – An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2: – For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2022 and December, 2022.".

(b) after Sub-regulation (3), following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(4) All Officers shall be eligible for reimbursement of Rs 500/- per year towards eye check-up.".

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2022, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

11. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the officer, the Sanctioning Authority shall record the reasons for the same in writing.".

12. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: –

"(3) On and from the 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying 24 hours in advance.

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.".

13. In regulation 33 of the said regulations, –

(a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: –

"(4) On and from the 1st June 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty-five days:

Provided further, that an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing privilege leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.";

(b) after sub-regulation (6), following sub-regulation shall be inserted, namely: –

"(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating privilege leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.".

14. In regulation 34 of the said regulations,—

(a) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.";

(b) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely: –

"(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April, 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.".

15. In regulation 36 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: –

"(1) A female officer employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024, in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months.

Provided also that maternity leave may be availed by combining it with any other kind of leave except casual leave.";

(b) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(4) A female officer employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: –

(a) leave will be granted for adoption of only one child;

(b) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

(c) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;

(d) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.";

(c) after sub-regulation (6), following sub-regulations shall be inserted, namely: –

"(7) On and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(8) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty -eight days of birth.".

16. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely: –

"37(A) Special casual leave and Special leaves.— (1) On and from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working, or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) On and from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) On and from the 1st April, 2024, the Principal Officer bearers of All India Officers' Unions or Associations shall be granted special leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) On and from the 1st April, 2024, officers who are defence representatives in departmental enquiry, may avail one day special leave for the purpose of preparing the defence submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual Leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.".

17. After regulation 37(A) of said regulations, the following regulation shall be inserted, namely: –

"37 (B). Bereavement Leave.— An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (Spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of demise:

Provided also that the said leave shall not be considered as "Active service" for the purpose of calculation of "Privilege leave.".

18. In regulation 41 of the said regulations,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: –

"(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely: –

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that such officer may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometres:

Provided further that such officer may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains as mentioned in clause (a) or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers;

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;

(g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Service Tax charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.";

(b) in sub-regulation (2), after clause (ii), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

Explanation.— for the purposes of this clause, on and from the 1st February, 2023, the rate per kilometre shall be as under:

Sr. No	Type of Vehicle	Revised Rate of reimbursement per km.
1	Four Wheeler- Engine capacity of 1000 cc or more	Rs. 11.00/-
2	Four Wheeler- Engine capacity of less than 1000 cc	Rs. 9.00/-
3	Motor Cycle and Scooter	Rs. 6.00/-
4	Mopeds	Rs.4.00/-.".

(c) in sub-regulation (4), for clause (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

'4 (a) On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the following Table, shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely: –

TABLE

Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
	Metro Rs.	Major `A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places. Rs.
(1)	**(2)**			
Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

***Explanation.*—**For the purpose of computing Halting allowance, *per diem* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.

(b) An officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the following Table may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation (ITDC) hotels of the corresponding star category set out in column (2) thereof:

TABLE

Grades or Scales of officers	Eligibility to stay
(1)	**(2)**
Scale VI and above	4* Hotel
Scale IV and V	3* Hotel
Scale II and III	2* Hotel (non-AC)
Scale I	1* Hotel (non-AC)

The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits specified above in accordance with the guidelines of the Government.'.

19. In regulation 42 of the said regulations,—

(a) in sub-regulation (2), in clause (i), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that on and from the 17th March 2023, an officer on transfer shall be reimbursed his expenses for transportation of his personal effects from one place to another considering the fact that shipments are happening only through lorry, up to the following limits:

TABLE

Basic Pay (Rs.)	**Where an officer has family**	**Where an officer has no family**
48480-64820	3000 kgs or 3 Tonne	1500 kgs or 1.5 Tonne
64821 and above	12000 kgs or 12 Tonne	2500 kgs or 2.5 Tonne

The revised rates for reimbursement approved by the Board are as under: –

TABLE

Distance in kilometers	Revised Rate in rupees per km
Up to 1000 kms	Rs. 5.90/-
Beyond 1000 kms	Rs. 4.25

Note 1: The above rates shall be applicable on slab wise basis, that is, for the first 1000 kms, the rate applicable shall be Rs. 5.90/- per km and thereafter it shall be Rs. 4.25/- per km.

Note 2: In case of officers transferred to shorter distance up to 300 kms, the reimbursement may be permitted upto 300 kms.

Note 3: In case of officers transferred to and from hilly terrains, this may be reimbursed to the extent of two times of applicable rate for the distance covered in hilly terrain and at normal rate for the balance distance.";

(b) For sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: –

"(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the following Table, namely: –

TABLE

Grade or Scale	Amount
(1)	(2)
Senior Management and Top Executive Grade (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs.40000/-

(c) in the sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either Lodging and Boarding charges or Halting Allowance for a period of 15 days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.".

20. for regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"44(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I, while availing Leave Travel Concession, shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less, and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) Eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an Officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely: –

(a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;

(b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;

(c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;

(d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and

(e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.

(9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or Leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.".

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

[*SEE* SUB-REGULATION (2) OF REGULATION 23]

On and from the 1st day of November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table, namely: –

TABLE

Special Area Allowance

Sl No.	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Mizoram**		
	(a) Chimptuipui District and areas beyond 25 kms from Lunglei Town in Lunglei District.	4100	5300
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms from Lunglei town	4100	5300
	(c) Entire Aizawl District	2700	3400

2	**Nagaland**	4100	5300
3	**Andaman and Nicobar Islands**		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4	**Sikkim**	4100	5300
5	**Lakshadweep Islands**	4100	5300
6	**Assam**	1000	1200
7	**Meghalaya**	1000	1200
8	**Tripura**		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except Difficult areas	2700	3400
9	**Manipur**	2700	3400
10	**Arunachal Pradesh**		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult areas	4100	5300
11 A	**Union Territory of Jammu and Kashmir**		
	(1) **Kathua District**: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) **Udhampur District**:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All Areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) **Doda District**: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) **Baramulla District**:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300
	(5) **Poonch and Rajouri District**: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunder bani and other urban areas in the two Districts	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of 8 kms. from the Line of Actual Control (LOC) or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
11 B	**Union territory of Ladakh:** **Leh District**: Noyama and Nobre Zanskar All other places in the district	4100	5300

12	**Himachal Pradesh**		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and Villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam andTunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet Proper)	2700	3400
	2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above	4100	5300
	(b) Entire District other than areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
	(c) (I) Chopal Tehsil (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, (iii) Pargana Barabis, (iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, (II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	4100	5300
	(I) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town: (a) Women's ITI, Dari,	2700	3400

	(b) Mechanical Workshop, Ramnagar, (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, (d) CRSF Office at lower Sakoh, (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, (f) HRTC Workshop, Sadher, (g) Zonal Malaria Office, Dari, (h) Forest Corporation Office, Shamnagar, (i) Tea Factory, Dari, (j) I.P.H. Sub-division, Dari (k) Settlement Office, Shamnagar (l) Binwa Project, Shamnagar (II) Palampur Town, including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town- (a) H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, (b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri, (c) Sericulture Office or Indo- German Agriculture a. Workshop or HPPWD Division, Bundla, (d) Electrical Sub-Division, Lohna, (e) D.P.O. Corporation, Bundla, (f) Electrical HPSE Division, Ghuggar		
	(7) **Mandi District**:		
	(i) Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana; (ii) Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol,Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, (ii) Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400
	(8) **Sirmaur District**: a) Following Panchayats of (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil); (ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil); (iii) Birla (Nahan Tehsil); (iv)Dibber (Pachhad Tehsil); (v)Thana Kasoga (Nahan Tehsil); and (b) Thansgiri Tract.	2700	3400

	(9) **Solan District**: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13	**Uttarakhand:** Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts	4100	5300
14	**West Bengal: South 24 Parganas District** Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata, (Kulti).	1000	1200.".

POPPY SHARMA, General Manager–HCM

[ADVT.-III/4/Exty./124/2025-26]

Note: The Central Bank of India (Officers') Service Regulation, 1979 were published in the Gazette of India on 1st day of July, 1979 and subsequently amended *vide* the following notifications published in the Gazette of India, Part III, section 4, namely: –

Sr. No.	Gazette Notification No.	Date of publication in the official gazette
1.	43	24.10.1987
2.	16	21.04.1990
3.	43	25.10.1996
4.	37	13.09.1998
5.	42	20.10.2001
6.	26	28.06.2003
7.	79	15.05.2006
8.	115	29.07.2006
9.	361	11.12.2014
10.	275	11.07.2017
11.	63	28.01.2022
12.	945	27.11.2024

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.29 14:27:43 +05'30'